चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित सभी टोलियों/रिक्रूट आरक्षियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी, परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन, एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। परेड ग्राउंड में आर्मोरर द्वारा शस्त्रों का खोलने जोड़ने व हैन्डलिंग की जानकारी दी गयी।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों, 112 पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों/थानों के वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर, आरटीसी बैरिक, सीपीसी कैंटीन,मंदिर,भोजनालय, आर्मरी का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविंद कुमार वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक राम शीष यादव,आरटीसी प्रभारी प्रदीप कुमार यादव, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(4). आज दिनाँक-19.09.2025 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी कैमरा के संचालन, महिला बैरक में निरुद्ध महिलाओं से खान-पान आदि के बारे में जानकारी की तथा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार दूरभाष पर बात भी कराते रहें। हाई सिक्योरिटी बैरक में कैदियों की खाना तलाशी कराकर अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि कैदियों को मीनू के अनुसार खान-पान की व्यवस्था रहे। निरुद्ध कैदियों के लिए आरो पानी की सप्लाई, रसोईघर का निरीक्षण करते हुये जेल अधीक्षक से कहा कि कैदियों को भोजन,नाश्ता प्रतिदिन मीनू के अनुसार दिया जाए इसमें कोई अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। कैदियों को जो सुविधाएं अनुमन्य है उसी के अनुसार व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती नीता देवी पत्नी हिमांशु पाण्डेय पश्चिम शरीरा कौशाम्बी ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति हिमांशु पाण्डेय,ससुर श्रीदत्त पाण्डेय,देवर सोनू पाण्डेय व ससुरालीजन द्वारा प्रार्थिया के साथ गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गीता देवी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी शिवांग्नी श्रीवास्तव,महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न

करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गीता देवी

2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव

4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामआधार सिंह यादव मय हमराह आरक्षी मो0 अदनान द्वारा अ0सं0 33/24 धारा 125 सीआरपीसी के वारंटी अभियुक्त रामबालक पाल पुत्र राजकुमार निवासी शोभा सिंह का पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 19.09.2025 को थाना मऊ में उपजिलाधिकारी न्यायिक मानिकपुर श्रीमती पूजा गुप्ता एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली द्वारा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव,नगर पंचायत,बिजली विभाग व थाना क्षेत्र के समस्त गांव से आए दुर्गा पूजा स्थापना स्थल के आयोजक, पदाधिकारीगण,रामलीला कार्यक्रम के आयोजक,विजयदशमी के आयोजक व अन्य सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ आगामी नवदुर्गा पूजा दशहरा भरत मिलाप, मूर्ति विसर्जन के संबंध में पीस कमेटी की बैठक की गई। जिसमें सभी उपस्थित अधिकारी गण द्वारा त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में बताया गया जनता के द्वारा विद्युत व सफाई के कुछ बातें उठाई गई, जिसे संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा ठीक कराए जाने का आश्वाशन दिया गया तथा अपना फोन नंबर नोट कराया गया और यह भी कहा गया कि यदि कोई आवश्यकता हो तो आप लिखित प्रत्यावेदन या फोन पर कंप्लेंट कर सकते हैं। जिससे उसका निराकरण किया जाएगा। उपस्थित समस्त सदस्यों से भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने की अपील की गयी तथा शासन के दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में बताया गया ।

(8). आज दिनाँक 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा महिला थाना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर,थाना कार्यालय, महिला हेल्पडेस्क रजिस्टर,मिशन शक्ति रजिस्टर का निरीक्षण कर रजिस्टरों का अद्यावधिक कराने हेतु निर्देशित किया गया । आगामी शारदीय नवरात्रि से महिला सुरक्षा,सम्मान एवं स्वावलम्बन के दृष्टिगत शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज-6 के तहत प्रतिदिन क्षेत्रों में भ्रमणशील होकर महिलाओं/बालिकाओं को 1.मिशन शक्ति फेज–06 का महत्व एवं दायित्व 2. 1090 पावरलाइन का व्यापक प्रचार एवं प्रसार 3.आगामी नवदुर्गा पूजन के पावन अवसर के दृष्टिगत महिलाओं की सुरक्षा का व्यापक ध्यान रखा जाए तथा महिला हेल्पलाइन के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। 4.महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बर यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स नंबरों के अलावा महिलाओं को साइबर क्राइम होने पर 1930 पर कॉल तथा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज

कराना, फोन खो जाने पर CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बारे में प्रचार प्रसार हेतु निर्देशित किया गया। 5.सभी अधिकारी व कर्मचारीगण को अपने स्मार्ट फोन में C–Plan App, UPCOP App आदि download करने हेतु निर्देशित किया गया कि आवश्यकतानुसार इन Apps का जनहित में उपयोग व जागरुक भी करें।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक 19.09.2025 पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2025 धारा 309(4),317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त राहुल रैकवार पुत्र स्व0 रामबाबू रैकवार निवासी अकबरपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट हाल पता गत्ता मोहल्ला भरतपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 26.04.2025 को श्रीमती दशरथी देवी पत्नी भोला प्रसाद निवासी लक्ष्मणपुरी थाना कोतवली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि स्वराज कालोनी बस स्टैण्ड से अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया को धक्का देकर गले की सोने का मंगलसुत्र लूट कर भाग जाना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 251/2025 धारा 309(4) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 गौरव तिवारी सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना दिनांक 27.04.2025 को राहुल रैकवार का नाम प्रकाश में आया। विवेचक उपरोक्त द्वारा दिनांक 28.04.2025 को अभियुक्त राहुल रैकवार से बरामदगी करते हुए गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 18.06.2025 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

(10). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 19.09.2025 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2014 धारा 148,323,324,504,506 भादवि0 अभियुक्त जुग्गी पटेल पुत्र धुन्नी पटेल निवासी बरमपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 7500/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 16.04.2014 को वादी कामता सिंह पुत्र गोकुल सिंह निवासी जारोमाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अज्ञात बदमाशों द्वारा असलहा से लैस होकर वादी के भाई गेंदा लाल व चौकीदार

नन्हे को लाठी डण्डो से मारकर घायल कर देना तथा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देना ।इस सूचना पर मारकुण्डी में मु0अ0सं0 11/2014 धारा 148,323,324,504,506 भादवि0,14 डी0ए0एक्ट व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट बनाम अज्ञात बदमाश पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री अजय कुमार कुलश्रेष्ठ द्वारा सम्पादित की गयी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 21.06.2025 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।